THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2017.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2.** Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act.-
 - (a) in sub-section (1),-
 - (i) in clause (a), for the existing expression "thirty three thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted; and
 - (ii) in clause (b), for the existing expression "thirty thousand rupees", the expression "forty five thousand rupees"; and
- (b) in sub-section (2), for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017" shall be substituted.
- 3. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 3-A of the principal Act,-
 - (a) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017" shall be substituted; and
 - (b) for the existing expression "thirty thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted.
- **4.** Amendment of section **4,** Rajasthan Act No. 6 of **1957.-** In section 4 of the principal Act, for the existing expression

"fifteen thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2012", the expression "twenty five thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2017" shall be substituted.

- **5.** Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-A of the principal Act,-
 - (a) for the existing expression "1st April, 2015", the expression "1st April, 2017" shall be substituted;
 - (b) for the existing expression "a pension of rupees fifteen thousand", the expression "a pension of rupees twenty five thousand" shall be substituted; and
 - (c) for the existing expression "an additional pension of rupees one thousand two hundred", the expression "an additional pension of rupees one thousand six hundred" shall be substituted.
- **6.** Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of **1957.-** In sub-section (1) of section 4-C of the principal Act,-
 - (a) for the existing expression "1st April, 2015", the expression "1st April, 2017" shall be substituted; and
 - (b) for the existing expression "a family pension equal to rupees six thousand two hundred twenty five", the expression "a family pension equal to rupees twelve thousand five hundred" shall be substituted.
- 7. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4-D of the principal Act,-
 - (a) for the existing expression "1st April, 2010", the expression "1st April, 2017" shall be substituted; and
 - (b) for the existing expression "rupees twenty five thousand", the expression "rupees fifty thousand" shall be substituted.
- 8. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 5 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1)-
 - (i) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017";
 - (ii) for the existing expression "thirty thousand rupees", the expression "forty five thousand rupees"; and

(iii) for the existing expression "twenty seven thousand rupees", the expression "forty two thousand rupees",

shall be substituted; and

- (b) in sub-section (2)-
 - (i) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017"; and
 - (ii) for the existing expression "thirty thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees",

shall be substituted.

- 9. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 6 of the principal Act,-
 - (a) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017";
 - (b) for the existing expression "salary of thirty thousand rupees", the expression "salary of forty five thousand rupees"; and
 - (c) for the existing expression "sumptuary allowance of thirty thousand rupees", the expression "sumptuary allowance of fifty thousand rupees",

shall be substituted.

- 10. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act,-
 - (a) for the existing expression "one thousand rupees", the expression "one thousand five hundred rupees"; and
 - (b) for the existing expression "one thousand two hundred fifty rupees", the expression "one thousand seven hundred fifty rupees",

shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2017.

- 11. Amendment of section 8-B, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In the existing section 8-B of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1), for the existing expression "rupees one lakh fifty thousand", the expression "rupees two lakh" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2017;

- (b) in sub-section (2), for the existing expression "rupees one lakh fifty thousand" wherever occurring, the expression "rupees two lakh" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2017; and
- (c) in proviso to sub-section (3), for the existing expression "rupees one lakh fifty thousand", the expression "rupees two lakh" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2017.
- 12. Amendment of section 8-D, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 8-D of the principal Act, for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2017.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the rise in prices, the salary, allowances and facilities provided to the members and officers of the Rajasthan Legislative Assembly and pension and facilities of the pensioner members and family pension to the family pensioners appear to be inadequate, therefore it is proposed to amend sections 3, 3-A, 4, 4-A, 4-C, 4-D, 5, 6, 8, 8-B and 8-D of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 for the purpose of making suitable increase in salary, allowances, pension and facilities etc...

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

राजेन्द्र राठौड, Minister Incharge. संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (37) विधि/2/2017 जयपुर, दिनांक 25 अप्रेल, 2017 प्रेषकः राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री, प्रेषितिः सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिब्धियां और पंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to amend sections 3, 3-A, 4, 4-A, 4-C, 4-D 5, 6, 8, 8-B and 8-D of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956. The amendments in these sections will involve a recurring expenditure of about rupees 17, 45,64,000 /- per annum.

राजेन्द्र राठौड, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1956 (Act No. 6 of 1957)

XX XX XX XX XX XX

- **3. Salaries of Officers.-** (1) There shall be paid-
 - (a) a salary of thirty three thousand rupees per mensem to the Speaker, and
 - (b) a salary of thirty thousand rupees per mensem to the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the State.
- (2) The salary fixed by sub-section (1) shall be payable to the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, with effect from 1st April, 2012 or with effect from the date on which he is chosen as such Speaker or Deputy Speaker under Article 178 of the Constitution whichever may be later, and until he vacates or resigns or is removed from his office as such Speaker or Deputy Speaker in accordance with law.
- **3-A. Sumptuary Allowance.-** In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from 1st April, 2012 to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, a sumptuary allowance of thirty thousand rupees per mensem.
- **4. Salaries of Members.-** Every member of the Legislative Assembly of the State shall be entitled to receive a salary of fifteen thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2012 or with effect from the date on which the declaration of the result of his election to the Rajasthan Legislative Assembly is published in the Official Gazette under section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (Central Act 43 of 1951), whichever may be later, until he ceases to be such member:

Provided that no member shall claim such salary unless he makes and subscribes the oath or affirmation of his office under Article 188 of the Constitution:

Provided further that such salary shall be liable to such deductions for continued absence or other cause as may be provided in the rules made by the State Government in this behalf.

4-A. Pension and other facilities.- (1) With effect from 1st April, 2015 there shall be paid to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly for any period upto five years, whether continuous or not, a pension of rupees fifteen thousand per mensem and an additional pension of rupees one thousand two hundred per mensem for every year or part thereof, whether continuous or not, beyond the aforesaid period of five years:

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period:

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section:

Provided also that pension payable to a person under this section shall be increased by twenty percent if he has attained the age of seventy years and shall be increased by thirty percent if he has attained the age of eighty years.

Explanation I.- In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Minister or as an officer as defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.- If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of five years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be five years.

Explanation III.- For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as:-

- (i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or
- (ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or
- (iii) a Minister or Deputy-Minister of the Government of India or any State; or
- (iv) the Chairman or Deputy-Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or
- (v) the Speaker or Deputy-Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State.

Explanation IV.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation V.- In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.

4-C. Family pension to the spouse of the Ex-member.(1) The spouse of a deceased Ex-member shall be entitled with effect from 1st April, 2015 or with effect from the date of death of such member, whichever is later, to receive per mensem a family pension equal to rupees six thousand two hundred twenty five or equal to fifty percent of the last drawn pension by such member, whichever is higher:

Provided that-

(i) If the person entitled to a family pension under this section is in receipt of any salary or pension from any

other source, then,-

- (a) where the amount of salary or pension being received from other source is equal to or more than the family pension receivable under this section, such person shall not be entitled to any pension under this section; and
- (b) where the amount of salary or pension being received from other source is less than the amount of family pension receivable under this section, such person shall be entitled to receive family pension under this section in addition to such salary or pension from other source subject, however, that the aggregate of both the family pension under this section and the salary or pension from other source shall not exceed the maximum amount payable under this section as family pension;
- (ii) If the spouse of such member remarries, he or she shall not be paid any pension under this section; and
- (iii) Where more than one wife has survived such member, the amount of family pension payable under this section shall be paid to such wives in equal shares.

Explanation I.- For the purpose of this section 'last drawn pension' in respect of a member of the Legislative Assembly who had died or resigned before the expiry of his term of his office shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of his death or, as the case may be, resignation, and in respect of an Ex-member who did not draw pension before his death, shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of expiry of his last term of office.

Explanation II.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

(2) xx xx xx xx xx

- **4-D. Free travelling facility to Ex-members.-** (1) With effect from 1st April, 2010, every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him, within the territory of India in any class of railway, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees twenty five thousand in a financial year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.
- **5.** Salaries of Government Chief Whip and Deputy Government Chief Whip.- (1) There shall be paid, with effect from 1st April, 2012 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of thirty thousand rupees per mensem to the Government Chief Whip and a salary of twenty seven thousand rupees per mensem to the Deputy Government Chief Whip.
- (2) In addition to the salary payable under sub-section (1) there shall be paid, with effect from 1st April, 2012 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, to the Government Chief Whip and Deputy Government Chief Whip, a sumptuary allowance of thirty thousand rupees per mensem.

Explanation.- For the purpose of this section "Government Chief Whip" or "Deputy Government Chief Whip" means that member of the Rajasthan Legislative Assembly who is Chief Whip or Deputy Chief Whip for the time being in the Assembly of the party in Government having the greatest numerical strength in that Assembly.

(3) xx xx xx xx xx

6. Salary and Sumptuary Allowance of Leader of the Opposition.- (1) There shall be paid to the Leader of the Opposition, with effect from 1st April, 2012 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of thirty thousand rupees and a sumptuary allowance of thirty thousand rupees per mensem.

Explanation.- (i) In this Act "Leader of the Opposition" means that member of the Rajasthan Legislative Assembly who is, for the time being, the Leader in that Assembly of the party in

opposition to the Government having the greatest numerical strength in that Assembly and recognized as such by the Speaker.

(ii) Where there are two or more parties in opposition to the Government having the same numerical strength, the Speaker shall, having regard to the status of the parties, recognize any one of the leaders of such parties as the Leader of the Opposition for the purposes of this Act and such recognition shall be final and conclusive.

XX XX XX XX XX XX

- **8. Allowances of members.-** (1) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, every member of the Legislative Assembly shall be entitled to receive, for his attendance required in connection with his duties, as such member,
 - (a) travelling allowance at the prescribed rates in accordance with rules made in that behalf, and
 - (b) daily allowance at the rate of one thousand rupees per day within the State and one thousand two hundred fifty rupees per day outside the State subject, however, that such allowance shall not be admissible for such period as is in excess of fifteen days in a calendar month except when the Legislative Assembly is in session:

Provided that no sum on account of any such allowance shall be paid to a member before he has made and subscribed the oath or affirmation of his office prescribed by Article 188 of the Constitution:

Provided further that until rates are prescribed under clause (a), travelling allowances shall be payable thereunder to the members of the Legislative Assembly at the rates admissible to Government servants of the first class.

8-B. Free Railway travelling facilities to Members.- (1) Every member shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him, within the territory of India in any class of

railway, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees one lakh fifty thousand in a financial year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.

- (2) Where the total amount of reimbursement received in a financial year under sub-section (1) is less than rupees one lakh fifty thousand, the amount by which the amount of reimbursement is less than one lakh fifty thousand shall be carried forwarded in next financial year or years and the member shall be entitled to utilize such amount at any time before expiry of his term as member.
- (3) Where a Member entitled to received travelling allowance under section 8, chooses to travel by air, ship or steamer, he shall be entitled to surrender such part of the facility provided by sub-section (1) as is equivalent to the difference between the air, ship or steamer fare actually paid by him and the railway fare to which he is entitled under that section and receive the cash equivalent of the facility so surrendered:

Provided that aggregate amount so paid either as railway fare or in respect of air, fare or as the difference between the air fare and the railway fare or as or in respect of any of them shall not exceed rupees one lakh fifty thousand within a financial year.

Explanation.- For the purposes of this section, a member shall include a Minister as defined in the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956) and an Officer of the Legislative Assembly for the State as defined in this Act.

XX XX XX XX XX XX

8-D. Secretarial Assistance to members.- Every member shall be provided with an employee, drawing pay in a Grade Pay not exceeding the Grade Pay No. 9 as specified in the Rajasthan Civil Services (Revised pay) Rules, 2008, by the revenue department of the State Government as secretarial assistance or, at the option of the member, a lump sum amount of twenty thousand rupees shall be paid to the member in lieu of the secretarial assistance.

XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2017 का विधेयक सं. 34

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्रः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलिब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।
 - (2) यह तुरंत प्रवृत होगा।
- 2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में.-
 - (क) उप-धारा (1) में,-
 - (i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तैंतीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी: और
 - (ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी।

- 3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3-क का संशोधन. मूल अधिनियम की धारा 3-क में,-
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी: और
 - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" और अभिव्यक्ति "पंद्रह हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंच्चीस हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 5. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-क की उप-धारा (1) में,-
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2015" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी:
 - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पन्द्रह हजार रुपये की पेंशन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये की पेंशन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार दो सौ रुपये की अतिरिक्त पेंशन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार छह सौ रुपये की अतिरिक्त पेंशन" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 6. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उप-धारा (1) में,-
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2015" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी: और

- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "छह हजार दो सौ पच्चीस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बारह हजार पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 7. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-घ में,-
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2010" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 8. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-
 - (क) उप-धारा (1) में-
 - (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017";
 - (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये"; और
 - (iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "सत्ताईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बयालीस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ख) उप-धारा (2) में-
 - (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017"; और
 - (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017";
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये वेतन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये वेतन";और
- (ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये सत्कार भत्ता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये सत्कार भत्ता".

प्रतिस्थापित की जायेगी।

- 10. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में,-
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार पांच सौ रुपये"; और
 - (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति " एक हजार दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार सात सौ पचास रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2017 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

- 11. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-ख में,-
 - (क) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2017 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;
 - (ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2017 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

- (ग) उप-धारा (3) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2017 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।
- 12. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-घ में विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2017 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और सुविधाएं और पेंशनभोगी सदस्यों की पेंशन और सुविधाएं तथा कौटुम्बिक पेंशनधारियों को उपलब्ध कौटुम्बिक पेंशन अपर्याप्त प्रतीत होती हैं, इसलिए वेतन, भत्तों, पेंशन और सुविधाओं इत्यादि में यथोचित वृद्धि करने के प्रयोजन के लिए राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 3-क, 4, 4-क, 4-ग, 4-घ, 5, 6, 8, 8-ख और 8-घ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्त्त है।

राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री। संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (37) विधि/2/2017 जयपुर, दिनांक 25 अप्रेल, 2017 प्रेषकः राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री, प्रेषितिः सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, में, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

वितीय ज्ञापन

विधेयक, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 3-क, 4, 4-क, 4-ग, 4-घ, 5, 6, 8, 8-ख और 8-घ को संशोधित करने के लिए ईप्सित है। इन धाराओं में संशोधनों से लगभग 17,45,64,000/- रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा।

राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री। राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

- 3. अधिकारियों के वेतन.- (1) राज्य की विधानसभा के-
 - (क) अध्यक्ष को प्रति माह तैंतीस हजार रुपये वेतन, तथा
 - (ख) राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को प्रति माह तीस हजार रुपये वेतन, दिया जायेगा।
- (2) उप-धारा (1) द्वारा निर्धारित वेतन अध्यक्ष या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष को, 1 अप्रेल, 2012 से या उस दिनांक से जिसको यह संविधान के अनुच्छेद 178 के अधीन उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया हो, जो भी बाद में हो, और तब तक जब तक कि वह विधि के अनुसार उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद खाली नहीं करे अथवा नहीं त्यांगे या उसे हटाया नहीं जाये, देय होगा।
- 3-क. सत्कार भत्ता.- धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के साथ-साथ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 1 अप्रेल, 2012 से तीस हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भता संदत्त किया जायेगा।
- 4. सदस्यों के वेतन.- राज्य की विधान सभा का प्रत्येक सदस्य 1 अप्रेल, 2012 से या उस तारीख से, जिसको राजस्थान विधान सभा के लिए उसके चुनाव के परिणाम की घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 67 के अधीन राज-पत्र में प्रकाशित की हो, जो भी बाद में हो, जब तक वह ऐसा सदस्य रहे तब तक पंद्रह हजार रुपये प्रतिमास वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु कोई सदस्य जब तक वह संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन अपने पद की शपथ न ले ले या उसका प्रतिज्ञान कर दे और उन पर हस्ताक्षर न कर दे ऐसे वेतन का दावा नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे वेतन में से सतत अनुपस्थिति या अन्य कारण से ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी जिनका इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में उपबंध किया जाये। 4-क. पेंशन और अन्य सुविधाएं.- (1) 1 अप्रेल, 2015 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में, निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालाविध के लिए रहा हो, पन्द्रह हजार रुपये की पेंशन और उपर्युक्त पांच वर्ष की कालाविध से अधिक निरंतर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार दो सौ रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्रति मास संदत्त की जायेगी:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है किए पेंशन का संदाय स्थिगत रहेगा:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन उसे संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन में, यदि उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करली हो तो बीस प्रतिशत की वृद्धि, और यदि उसने अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो तीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालाविध को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.- यदि पांच वर्ष की कालाविध समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालाविध की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालाविध पांच वर्ष की कालाविध समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.- इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है:-

- (i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; या
- (ii) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य; या
- (iii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री; या
- (iv) राज्य सभा, या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति; या
- (v) लोक सभा, या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।

स्पष्टीकरण IV.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण V.- इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालाविध को पांच वर्ष समझा जायेगा।

(2) 社(3) XX XX XX XX XX XX XX XX

4-ग. भूतपूर्व सदस्य के पित या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन.- (1) किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य का पित या पत्नी 1 अप्रेल, 2015 से या ऐसे सदस्य की मृत्यू की तारीख से, जो भी बाद में हो, छह हजार दो सौ

पच्चीस रुपये या ऐसे सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के पचास प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिमास कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु-

- (i) यदि इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का हकदार व्यक्ति किसी भी अन्य स्रोत से कोई वेतन या पेंशन प्राप्त करता है, तो,-
 - (क) जहां अन्य स्रोत से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन के बराबर या उससे अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; और
 - (ख) जहां अन्य स्रोतों से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन की रकम से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति अन्य स्रोत से ऐसे वेतन या पेंशन के अतिरिक्त इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, तथापि, इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन और अन्य स्रोत से वेतन या पेंशन, कुल मिलाकर दोनों इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन के रूप में संदेय अधिकतम रकम से अधिक नहीं होंगी;
- (ii) यदि ऐसे सदस्य के पित या पत्नी का पुनर्विवाह हो जाता है तो उसे इस धारा के अधीन कोई पेंशन संदत्त नहीं की जायेगी; और
- (iii) जहां ऐसे सदस्य की एक से अधिक पत्नियां उत्तरजीवित रहती हैं, वहां इस धारा के अधीन संदेय कौटुम्बिक पेंशन की रकम ऐसी पत्नियों को बराबर भागों में संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे विधान सभा सदस्य के संबंध में, जो अपनी पदाविध की समाप्ति से पूर्व मर चुका है या त्यागपत्र दे चुका है, "अंतिम आहरित पेंशन" वह रकम होगी, जिसका वह उसकी मृत्यु या, यथास्थिति, त्यागपत्र के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता, और ऐसे भूतपूर्व सदस्य के संबंध में, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन आहरित न की हो, वह रकम होगी जो ऐसा सदस्य, उसकी पदाविध समाप्त होने के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता।

स्पष्टीकरण II.- इस धारा के अधीन संदेय किसी भी पेंशन की रकम की संगणना करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

- (2) XX XX XX XX XX
- 4-घ. भूतपूर्व सदस्यों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा.- प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, 1 अप्रेल, 2010 से किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।
- 5. सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक के वेतन.- (1) 1 अप्रेल, 2012 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक को तीस हजार रुपये प्रति मास और सरकारी उप मुख्य सचेतक को सत्ताईस हजार रुपये प्रति मास का वेतन संदत्त किया जायेगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय वेतन के साथ-साथ सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को 1 अप्रेल, 2012 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को तीस हजार रुपये प्रति मास सत्कार भता संदत्त किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिये "सरकारी मुख्य सचेतक" या "सरकारी उप मुख्य सचेतक" से राजस्थान विधानसभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो इस सभा में सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले शासक दल का तत्समय, मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक है।

- (3) XX XX XX XX
- 6. विपक्ष के नेता का वेतन और सत्कार भता.- (1) विपक्ष के नेता को 1 अप्रेल, 2012 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करता है, जो भी बाद में हो, तीस हजार रुपये वेतन और तीस हजार रुपये सत्कार भत्ता प्रति मास संदत्त किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- (i) इस अधिनियम में "विपक्ष का नेता" से राजस्थान विधानसभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो उस विधानसभा में, तत्समय, सरकार के विपक्ष के सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले दल का और अध्यक्ष द्वारा उक्त रूपेण मान्यता प्राप्त, नेता है।

(ii) जहां सरकारी के विपक्ष में, समान संख्या बल रखने वाले दो या अधिक दल हों वहां अध्यक्ष, दलों की प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुये, ऐसे दलों में से किसी भी एक नेता को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे देगा और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निश्चायक होगी।

XX XX XX XX XX

- 8. सदस्यों के भत्ते.- (1) ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन जो विहित किये जायें, विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में अपनी उपस्थिति के लिए,-
 - (क) उस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार विहित दरों पर यात्रा भता, और
 - (ख) राज्य के भीतर एक हजार रुपये प्रतिदिन और राज्य के बाहर एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन की दर पर दैनिक भता, इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि ऐसा भता सिवाय तब के जबिक विधान सभा सत्र में हो, ऐसी कालाविध के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा जो किसी एक कलेण्डर मास में पन्द्रह दिन से अधिक पड़ती हो,

प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा विहित अपने पद की शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उसे हस्ताक्षरित करने से पहले, ऐसे किसी भी भत्ते के रूप में किसी सदस्य को किसी भी राशि का संदाय नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि जब तक खण्ड (क) के अधीन दरें विहित न की जायें तक तक विधान सभा के सदस्यों को इसके अधीन यात्रा भता प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को अनुजेय दरों पर संदेय होगा।

- 8-ख. सदस्यों को नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधाएं.- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सिहत रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वितीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, किसी यात्रा के वास्तविक किराये का प्नर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी वितीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख पचास हजार रुपये से कम है वहां, एक लाख पचास हजार रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गई रकम आगामी वितीय वर्ष या वर्षों में अग्रनीत की जायेगी और वह सदस्य अपनी पदाविध की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय सदस्य के रूप में ऐसी रकम का उपयोग करने का हकदार होगा।
- (3) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य हवाई जहाज, पोत या सटीमर द्वारा यात्रा करना चाहे एवं उप-धारा (1) द्वारा दी गयी सुविधा के ऐसे भाग का अभ्यर्पण करने का, जो कि उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किये गये हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये और उस रेल किराये के, जिसका कि वह उस धारा के अधीन हकदार है, अन्तर के समतुल्य होगा:

परन्तु रेल किराये के रूप में या हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये के संबंध में या हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये और रेल किराये के बीच में अन्तर के रूप में या उनमें किसी के भी रूप में संबंध में इस प्रकार संदत्त कुल रकम किसी एक वितीय वर्ष के भीतर एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनार्थ सदस्य में मंत्री वेतन अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं 43) में यथा परिभाषित मंत्री और इस अधिनियम में यथा परिभाषित राज्य विधानसभा का अधिकारी भी सम्मिलित होगा।

XX XX XX XX XX

8-घ. सदस्यों को सचिवालियक सहायता.- प्रत्येक सदस्य को, राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में यथाविनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन सं. 9 से अनिधक की ग्रेड वेतन में वेतन आहिरत करने वाला एक कर्मचारी सिवालियक सहायक के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा या, सदस्य के विकल्प पर, सिचवालियक सहायक के बदले में सदस्य को बीस हजार रुपये प्रतिमाह की एकम्शत राशि संदत्त की जायेगी।

XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं. 34

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

Bill No. 34 of 2017 THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज, **सचिव।**

(राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री)

34 RAIASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
A
Bill
further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and
Members Emoluments and Pension) Act, 1956.
(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
PRITHVI RAJ, Secretary.
Secretary.

(Rajendra Rathore, Minister-Incharge)